

62

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला-रीवा (म०प्र०)  
प्र.क्रमांक र/III सीपी/17/1783



लवकुश प्रसाद तनय श्री रामभरोसा ब्रा० सा० -गाढ़ा 137,

तहसील-जवा, जिला -रीवा (म०प्र०)

आवेदक अधिभाषक  
 श्री राजनीश कुमारी  
 द्वारा पेश 1-6-17  
 कलकत्ता ज.स. कोर्ट  
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
 (सर्किट कोर्ट) रीवा

..... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

बच्ची देवी पत्नी रामभरोसा साकिन गाढ़ा 137, तहसील-  
जवा, जिला -रीवा (म०प्र०)

2. राजकुमार
3. शिवकुमार
4. सत्यदेव
5. रामकुशल
6. मोहित लाल

सभी के पिता रामभरोसा साकिन गाढ़ा 137, तहसील- जवा,  
जिला -रीवा (म०प्र०)

.....गैर पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण

M ✓

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय  
 श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी  
 महोदय त्योंथर जिला रीवा म०प्र०  
 के न्यायालय का राजस्व प्रकरण  
 क्र०- 50/ए27/अपील/16-17 में  
 पारित आदेश दिनांक 12/04/17  
 बच्ची देवी बनाम राजकुमार वगै०

57

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकारों पर अभिभावकों आदि स्ताक्षर

27-7-17

91

- 1- आवेक तथा अन्य अधिमापक सज्जता उपरांत उपाचित नहीं है।
- 2- वास्ते कापनी पर तर्क पेशी तारीख 24-8-17

आज्ञा से  
रीडर

24-8-17

78

- 1- आवेक अधिमापक सज्जता उपरांत उपाचित नहीं है।
- 2- वास्ते कापनी पर तर्क पेशी तारीख 19-9-17

आज्ञा से  
रीडर

19-9-17

121

- 1- अधिवक्ता गण सामूहिक हड़ताल पर है।
- 2- वास्ते प्रकरण पूर्ववत।

पेशी तारीख 19-9-17

आज्ञा से  
रीडर

24-10-17

77

- 1- अधिवक्ता गण सामूहिक हड़ताल पर है।
- 2- वास्ते प्रकरण पूर्ववत।

पेशी तारीख 19-9-12-17

आज्ञा से  
रीडर

19-12-17

1- सामूहिक पेशी दिनांक 27-12-17 बढ़ावी गयी।

27/12/17

आवेक अधिवक्ता श्री राजनीश तिवारी उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि एकलौ को वह अभी नहीं चलाया जा रहा है। अतः अनुसंधान स्वीकार किया जाना है। एकलौ इसी तरह पर समाप्त किया जाना है।

आज्ञा से  
रीडर

उक्त प्रकरण को मैं भुक्त नहीं चलाया जा रहा है

27-12-17